विद्युत संकट से प्रभावित राज्यों को सहायता

†*305. **श्री बालकवि बैरागी:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितनी राज्य सरकारों ने विद्युत संकट से उबरने के लिए केन्द्र सरकार से सहायता मांगी है;

(ख) तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इन राज्य सरकारों को विद्युत संकट से उबारने के लिए किए गए प्रावधान का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(क) से (ग) गत नौ महीनों में 16 राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों से प्राप्त सहायता के लिए अनुरोध का ब्यौरा तथा इन राज्यों में विद्युती कमी से निपटने के लिए की गई कार्रवाई के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं। **(नीचे देखिए)**

केन्द्रीय क्षेत्र उत्पादन केन्द्रों (सी॰जी॰एस॰) में क्षमता का 15 प्रतिशत सामान्यत: अनाबंटित रखा जाता है ताकि उसका निपटान केन्द्रीय सरकार कर सके और सी॰जी॰एस॰ के इस अनाबंटित कोटा में से राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को आबंटन संगत विद्युत कमी को ध्यान में रखने के साथ-साथ समय-समय पर एक क्षेत्र में प्रत्येक राज्य की तात्कालिक/मौसमी आवश्यकता को ध्यान में रख कर किया जाता है। राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों से सी॰जी॰एस॰ से सहायता प्राप्त करने के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के अनुरोध की जांच की जाती है तथा सी॰जी॰एस॰ के अनाबंटित कोटा से जब कभी भी अपेक्षा हो तो आबंटन को संशोधित किया जाता है।

विवरण I

केन्द्रीय पूल से विद्युत के अतिरिक्त आवंटन के लिए विभिन्न राज्यों से प्राप्त अनुरोध के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र से प्राप्त अनुरोध	किया गया अनुरोध	की गई कार्रवाई
		दक्षिण क्षेत्र	
1.	केरल	(*i*) दक्षिणी क्षेत्र के अनाबंटित विद्युत से राज्य के हिस्से को बढ़ाकर 100 मे. वा. करना (जुलाई, 2002)	(*i*) दक्षिणी क्षेत्र के केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों की अनाबंटित विद्युत में आबंटन को 4% से 25% तक बढ़ाकर 17.8.2002 से केरल को लगभग 90 मे. वा. आबंटन किया गया था।

†Original notice of the question was received in Hindi.

क्र. सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र से प्राप्त अनुरोध	किया गया अनुरोध	की गई कार्रवाई
		(ii) पूर्वी क्षेत्र से 300 मे. वा. विद्युत का अतिरिक्त। आबंटन (जुलाई 2002)। (iii) पूर्वी क्षेत्र से 350 मे. वा. कम कीमत विद्युत का अतिरिक्त आबंटन (फरवरी 2003)।	(ii) फरवरी, 2003 में पूर्वी क्षेत्र से केरल को विद्युत के अंतरण की प्रमात्रा 92.46 मे. वा. से बढ़ाकर 100 मे.वा. कर दी गई। (iii) तलचेर-कोलार उ.वो.दि.धा. द्विस्तंभ के प्रचालन के फलस्वरूप केरल अपने आबंटन के अलावा पूर्वी क्षेत्र से 100-200 मे. वा. गैर शिखर विद्युत के आहरण के लिए पात्र हो गया है।
2.	आंध्र प्रदेश	दक्षिणी क्षेत्र में केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों की अनाबंटित विद्युत में आंध्र प्रदेश के हिस्से को 28% से 40% तक बहाल करना तथा पूर्वी क्षेत्र में भी इसके हिस्से को बहाल करना (मई 2002)।	निम्नलिखित कारणों से आबंटन की बहाली व्यवहार्य नहीं पाई गई। (i) कम मानसून के परिणामस्वरूप कर्नाटक तथा केरल में उच्च कमी स्थिति क्योंकि ये राज्य अधिकांशत: जल विद्युत उत्पादन पर निर्भर हैं। (ii) आन्ध्र प्रदेश दक्षिणी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र केन्द्रों से मई, 2002 से कम आहरण कर रहा था। (iii) आंध्र प्रदेश को पूर्णरूपेण समर्पित सिम्हाद्री ताप विद्युत केन्द्र (एन॰टी॰पी॰सी॰) में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का प्रचालन। (iv) 16.4.2002 से 220 कि.वा. अपर सिलेरू-वालीमेला लाइन पर आंध्र प्रदेश द्वारा आहरण को बंद करना। तलचेर-कोलार उ.वो.दि.धा. द्विस्तंभ के प्रचालन के फलस्वरूप आंध्र प्रदेश अपने आबंटन के अलावा पूर्वी क्षेत्र से 100-200 मे.वा. गैर शिखर विद्युत के आहरण के लिए पात्र हो गया है।

क्र. सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र से प्राप्त अनुरोध	किया गया अनुरोध	की गई कार्रवाई
3.	कर्नाटक	दक्षिणी क्षेत्र में सी.जी.एस. के अनाबंटित हिस्से से 100 मे.वा. तथा पूर्वी क्षेत्र से अतिरिक्त 100 मे.वा. (मई 2002)।	कर्नाटक को आबंटन निम्नवत् रूप में बढ़ाया गया था:— (i) दक्षिणी क्षेत्र में केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों के अनाबंटित हिस्से से 28% से 40% (लगभग 60 मे.वा.)। (ii) पूर्वी क्षेत्र से अतिरिक्त 50 मे.वा.। तलचेर-कोलार उ.वो.दि.धा. द्विस्तंभ के प्रचालन के फलस्वरूप कर्नाटक अपने आबंटन के अलावा पूर्वी क्षेत्र से 100-250 मे.वा. गैर शिखर विद्युत के आहरण के लिए पात्र हो गया है।
4.	तमिलनाडु	अनाबंटित कोटा से 335 मे.वा. अतिरिक्त आबंटन।	तमिलनाडु को एन.टी.पी.सी. के कायमकुलम सीसीजीटी जिसका कम समुपयोजन किया गया था से 100 मे.वा. प्राप्त करने की सलाह दी गई थी। इस क्षेत्र के अन्य राज्यों में विद्यमान कमियों के कारण अनाबंटित कोटा से अतिरिक्त विद्युत का आबंटन संभव नहीं हो पाया था। तलचेर-कोलार उ.वो.दि.धा. द्विस्तंभ के प्रचालन के फलस्वरूप तमिलनाडु अपने आबंटन के अलावा पूर्वी क्षेत्र से 100-250 मे.वा. गैर शिखर विद्युत के आहरण के लिए पात्र हो गया है।
5.	पांडिचेरी	(i) 1.7.2002 से 6 महीनों के लिए दक्षिणी क्षेत्र की अनाबंटित विद्युत में से 45 मे.वा. आबंटन का विस्तार। (ii) दक्षिणी क्षेत्र के अनाबंटित विद्युत से आबंटन	(i) 1.7.2002 से 6 महीनों के लिए दक्षिणी क्षेत्र की अनाबंटित विद्युत से 45 मे.वा. के आबंटन को बढ़ाया गया। (ii) नेवेली ताप विद्युत केन्द्र-2 में उत्पादन यूनिटों की बहाली तक 19.9.2002 से

क्र. सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र से प्राप्त अनुरोध	किया गया अनुरोध	की गई कार्रवाई
		को 45 मे.वा. से 55 मे.वा. तक बढ़ाना (मई 2002)।	को 50 मे.वा. अतिरिक्त विद्युत का आबंटन किया गया था।
		(iii) 4.9.2002 को नेवेली ताप विद्युत केन्द्र-2 की कनवेयर प्रणाली में आग लगने के कारण दक्षिणी क्षेत्र के अनाबंटित विद्युत से आबंटन को बढ़ाना (सितम्बर, 2002)	(iii) तलचेर-कोलार उ.वो.दि.धा. द्विस्तंभ के प्रचालन के फलस्वरूप पांडीचेरी अपने आबंटन के अलावा पूर्वी क्षेत्र से 15 मे.वा. गैर शिखर विद्युत के आहरण के लिए पात्र हो गया है।
		उत्तरी क्षेत्र	
6.	दिल्ली	(i) दिल्ली ने विद्युत मंत्री तथा सचिव, विद्युत के साथ बैठकों के दौरान अनुरोध किया था (जनवरी, 2003)।	(i) 7.1.2003 से शिखर अवधियों के दौरान अनाबंटित कोटा से आबंटन को 100 मे.वा. तक बढ़ा दिया था तथा 16.1.2003 से इसमें 50 मे.वा. की और वृद्धि की गई थी।
		(ii) ग्रीष्म काल के लिए अनाबंटित कोटा में दिल्ली के हिस्से को बढ़ाने कि लिए अनुरोध (फरवरी, 2003)।	(ii) उत्तरी क्षेत्र के लिए अगला पुनरीक्षण अप्रैल, 2003 के पहले सप्ताह में के.वि.प्रा. द्वारा किए जाने की संभावना है।
7.	हरियाणा	अनाबंटित कोटा से 20 एल.यू./दिन का अतिरिक्त आबंटन (मई 2002)।	25.5.2002 से हरियाणा को अनाबंटित कोटा से आबंटन को 22% (लगभग 173 मे.वा.) से 26% (लगभग 205 मे.वा.) अर्थात् 0.7 एल.यू./दिन का आबंटन किया गया।
8.	पंजाब	कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं में बढ़ोतरी को पूरा करने के लिए 24.7.2002 से 31.8.2002 के दौरान अनाबंटित कोटा से 35% का आबंटन (जुलाई 2002)।	17.8.2002 से 31.8.2002 तक पंजाब के लिए आबंटन को अनाबंटित कोटे से बढ़ाकर 10% से 15% तक किया गया अर्थात् लगभग 39 मे.वा. का आबंटन हुआ। इसके अलावा 16.8.2002 से गैर शिखर घंटों के दौरान पंजाब को आर॰ए॰पी॰पी॰-3 (220 मे.वा.) के अनाबंटित कोटे का 15% (33 मे.वा.) भी आबंटित किया गया।

क्र. सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र से प्राप्त अनुरोध	किया गया अनुरोध	की गई कार्रवाई
9.	हिमाचल प्रदेश	1.11.2002 से 31.3.2003 तक की अवधि के लिए अनाबंटित कोटा का 20% का आबंटन तथा पूर्वी क्षेत्र से 50 मे.वा. का आबंटन (सितंबर, 2002)।	उत्तरी क्षेत्र के अनाबंटित कोटा से 1.11.2002 से हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को शिखर घंटों के दौरान 12% (अर्थात् लगभग 95 मे.वा.) तथा गैर शिखर घंटों के दौरान 15% (अर्थात् लगभग 118 मे.वा.) का आबंटन किया गया है।
10.	जम्मू व कश्मीर	(i) रमजान अवधि के दौरान 350 मे.वा. का आबंटन (नवम्बर 2002)।	(i) नवम्बर, 2002 में जम्मू व कश्मीर को अनाबंटित कोटा से 162 तथा 209 मे.वा. के बीच अलग-अलग मात्रा का आबंटन किया गया। इसे जनवरी, 2003 के दिन के अलग-अलग हिस्सों के दौरान 189 मे.वा. से बढ़ाकर 213 मे.वा. कर दिया गया था।
		(ii) विद्यमान विद्युत संकट से निपटने के लिए 300 मे.वा. का अतिरिक्त आबंटन (जनवरी, 2003)।	(ii) फरवरी, 2003 में जम्मू व कश्मीर को आर॰ए॰पी॰पी॰ यूनिट-3 में अनाबंटित कोटा से 15%(33 मे.वा.) का आबंटन किया गया।
		पश्चिमी क्षेत्र	
11.	महाराष्ट्र	(i) हिस्सा आबंटन के अनुसार 100% उपलभ्यता (फरवरी, 2003)।	(i) आबंटन विद्युत केन्द्र की प्रतिष्ठापित क्षमता पर किया गया। तथापि, वास्तविक पात्रता अनुषंगी खपत, संचारण हानियों तथा उत्पादन स्तर के कारण कम हो गई। तद्नुसार हिस्सा पात्रता इस राज्य को पूरी तरह उपलब्ध कराई गई।
		(ii) अनाबंटित कोटा से अतिरिक्त विद्युत का आबंटन।	(ii) पश्चिमी क्षेत्र में सी॰जी॰एस॰ के अनाबंटित कोटा से आबंटन को जनवरी, 2003 में 11% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया। इस राज्य के लिए वास्तविक वृद्धि 73 मे॰वा॰ की हुई।

क्र॰ सं॰	राज्य/संघशासित क्षेत्र से प्राप्त अनुरोध	किया गया अनुरोध	की गई कार्रवाई
12.	मध्य प्रदेश	(i) केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत में से 500 मे॰वा॰ के आबंटन को बढ़ाना तथा रबी मौसम के दौरान सी॰एस॰ई॰बी॰ के हिस्से में से 300 मे॰वा॰ की वृद्धि (सितम्बर, 2002)। (ii) मार्च, 2003 तक 200 मे॰वा॰ का आबंटन।	मध्य प्रदेश को निम्नवत रूप में अतिरिक्त विद्युत का आबंटन किया गया है। (i) उत्तरी क्षेत्र के जरिए पूर्वी क्षेत्र से अतिरिक्त 50 मे॰वा॰। (ii) फरवरी, 2003 में पूर्वी क्षेत्र से 50 मे॰वा॰। (iii) 2.11.2003 से मार्च, 2003 तक सी॰एस॰ई॰बी॰ के 498 मे॰वा॰ के हिस्से में से 90 मे॰वा॰।
13.	छत्तीसगढ़	मध्य प्रदेश को आबंटित 90 मे॰वा॰ विद्युत की बहाली। (नवंबर, 2002)।	मध्य प्रदेश की आवश्यकता पर विचार करते हुए छत्तीसगढ़ से 90 मे॰वा॰ के स्थाई आबंटन को मध्य प्रदेश के लिए मार्च, 2003 तक जारी रखा गया।
14.	दमन एवं दीव तथा दादरा नगर एवं हवेली	पश्चिमी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों से अतिरिक्त 25 मे॰वा॰ के आबंटन के लिए अनुरोध (अप्रैल 2002)।	फरवरी, 2003 में पूर्वी क्षेत्र से अतिरिक्त 25 मे॰वा॰ का आबंटन किया गया है।
		पूर्वी क्षेत्र	
15.	बिहार	पूर्वी क्षेत्र में एन॰टी॰पी॰सी॰ के विद्युत केन्द्रों से 184 मे॰वा॰ के आबंटन को बहाल करना (दिसम्बर, 2002)।	फरवरी, 2003 में एन॰टी॰पी॰सी॰ के केन्द्रों को गुणवता के आधार पर इस राज्य को 80 मे॰वा॰ विद्युत की बहाली की गई।
		उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	
16.	मेघालय	3-4 महीनों की अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र से गैर	चूंकि पूर्वी क्षेत्र के बाहर लाभग्राही राज्यों को आबंटित विद्युत के अपने हिस्से न लेने समेत पूर्वी

क्र॰ सं॰	राज्य/संघशासित क्षेत्र से प्राप्त अनुरोध	किया गया अनुरोध	की गई कार्रवाई
		शिखर घण्टों के दौरान लगभग 40 मे॰वा॰ विद्युत का आबंटन करने के लिए अनुरोध (जनवरी, 2003)।	क्षेत्र में एन॰टी॰पी॰सी॰ विद्युत केन्द्रों की समूची अनाबंटित विद्युत को उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों की अनाबंटित विद्युत से मेघालय के आबंटन को 5% से बढ़ाकर 10% किया गया था जिससे नवम्बर, 2002 से लगभग 9 मे॰वा॰ की वृद्धि हुई है तथा यह वृद्धि मार्च, 2003 तक चालू रहेगी।

Assistance to States affected by power crisis

†*305. SHRI BALKAVI BAIRAGI: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) the number of State Governments which have sought assistance from Central Government to get rid of power crisis;

(b) the details thereof, State-wise; and

(c) the details of the provision made by the Central Government to rid the States out of the power crisis?

THE MINISTER OF POWER (SHRI ANANT GANGARAM GEETE): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) Details of requests for assistance received from 16 State Governments/Union Territories in the past nine months and action taken for mitigating power shortages in these States are given in Statement-I enclosed (*See* below).

15% of capacity in Central Sector Generating Stations (CGS) is generally kept unallocated at the disposal of Central Government and allocation from this unallocated quota of CGS is made to States/ UTs in the region keeping in view the relative power shortages as

†Original notice of the question was received in Hindi.

well as the emergent/seasonal requirements of the individual States in a region from time to time. Requests are received from State Governments/UTs from time to time seeking assistance from CGS. Such requests are examined and allocation from unallocated quota of CGS revised, whenever required.

Statement-I

Details of requests received from various States for additional allocation of power from Central Pool

Sl. No.	Requests received from States/UTs	Requests made	Actions taken
		Southern Region	
1.	Kerala	(i) Raising share of State from unallocated power of Southern Region to 100 MW (July, 2002).	(i) Kerala was allocated approximately 90 MW by increasing allocation from 4% to 25% in unallocated power of Central Generating stations of Southern Region *w.e.f.* 17.08.2002
		(ii) Additional allocation of 300 MW power from Eastern Region (July, 2002).	(ii) Quantum of transfer of power increased from 92.46 MW to 100 MW from Eastern Region to Kerala in February, 2003.
		(iii) Additional allocation of 350 MW low cost power from Eastern Region (February, 2003).	(iii) Consequent to commissioning of Talcher—Kolar HVDC bipole, Kerala is entitled to draw 100-200 MW off-peak power from Eastern Region over and above its allocation.
2.	Andhra Pradesh	Restoration of share of AP in unallocated power of Central generating stations in Southern Region to 40% from 28% and also its share in Eastern Region (May, 2002).	Restoration of allocation was not found feasiable due to following reasons: (i) Poor monsoon resulted into high shortage conditions in Karnataka and Kerala which are predominately dependent upon hydel generation.

Sl. No.	Requests received from States/UTs	Requests made	Actions taken
			(ii) AP was under drawing from Central sector stations in Southern Region since May, 2002.
			(iii) Commissioning of additional generation capacity at Simadhri TPS (NTPC) fully dedicated to AP.
			(iv) Stoppage of drawal by AP from GRIDCO (Orissa) on 220 KV Upper Sileru-Balimela line *w.e.f.* 16.04.2002.
			(v) Consequent to commissioning of Talcher—Kolar HVDC bipole, Andhra Pradesh is entitled to draw 100-200 MW off-peak power from Eastern Region over and above its allocation.
3.	Karnataka	100 MW from unallocated share of CGS in Southern Region and additional 100 MW from Eastern Region (May, 2002).	Allocation to Karnataka was enhanced as under: (i) From 28% to 40% (about 60 MW) from unallocated share of Central Generating stations in Southern Region. (ii) Additional 50 MW from Eastern Region. (iii) Consequent to commissioning of Talcher—Kolar HVDC Bipole, Karnataka is entitled to draw 100-250 MW off-peak power from Eastern Region over and above its allocation.
4.	Tamil Nadu	Allocation of additional 335 MW from the unallocated quota	Tamil Nadu was advised to avail 100 MW from Kayamkulam CCGT of NTPC which was under utilized. It was not possible to allocate additional power from unallocated quota due to shortages prevailing in other States of the region. (iii) Consequent to commissioning of Talcher—Kolar HVDC bipole, Tamil Nadu is entitled to draw 100-250 MW off-peak power from Eastern Region over and above its allocation.

Sl. No.	Requests received from States/UTs	Requests made	Actions taken
5.	Pondicherry	(i) Extension of 45 MW allocation from unallocated power of Southern Region for six months from 01.07.2002	(i) Allocation of 45 MW from unallocated power of Southern Region was extended for six months from 1.7.2002.
		(ii) Enhancing allocation from unallocated power of Southern Region to 55 MW from 45 MW (May, 2002)	(ii) 50 MW additional power was allocated to Pondicherry *w.e.f.* 19.9.02 till restoration of generating units at Neyveli TS-II.
		(iii) Enhancing allocation from unallocated power of Southern Region because of fire in conveyor system of Neyveli Thermal Station-II on 4.9.2002. (September, 2002).	(iii) Consequent to commissioning of Talcher—Kolar HVDC bipole, Pondicherry is entitled to draw 15 MW off-peak power from Eastern Region over and above its allocation.
		Northern Region	
6.	Delhi	(i) Request of Delhi made during meetings with Minister of Power and Secretary (Power) (January, 2003)	(i) Allocation from unallocated quota enhanced by 100 MW during peak periods on 7.01.2003 and further increased by 50 MW on 16.01.2003.
		(ii) Request for enhancement of Delhi's share in unallocated quota for summer season (Feb., 2003).	(ii) Next review for Northern Region is likely to be made by CEA in 1st week of April, 2003.
7.	Haryana	Additional allocation of 20 LU/day from unallocated quota (May, 2002)	Allocation to Haryana from unallocated quota was increased from 22% (around 173 MW) to 26% (around 205 MW) *i.e.* 0.7 LU/day *w.e.f.* 25.05.2002.

Sl. No.	Requests received from States/UTs	Requests made	Actions taken
8.	Punjab	Allocation of 35% from unallocated quota during 24.07.2002 to 31.08.2002 to meet enhanced agricultural requirement (July, 2002)	Allocation from unallocated quota increased to Punjab from 10% to 15% *i.e.* about 39 MW w.e.f. 17.08.2002 to 31.08.2002. Besides, 15% (33 MW) unallocated quota of RAPP-3 (220 MW) was also allocated to Punjab during off-peak hours w.e.f. 16.08.2002.
9.	Himachal Pradesh	Allocation of 20% unallocated power and 50 MW from Eastern region for the period 01.11.2002 to 31.03.2003 (September, 2002).	HPSEB has been allocated 12% (*i.e.* about 95 MW) during peak hours and 15% (*i.e.* about 118 MW) during off-peak hours from 01.11.2002 from unallocated quota of Northern Region.
10.	Jammu and Kashmir	(i) Allocation of 350 MW during Ramzan period (November, 2002).	(i) Allocation from unallocated quota varying between 162 and 209 MW was made to J&K in November 2002. This was increase to 189 to 213 MW in January, 2003 during different parts of the day.
		(ii) Additional allocation of 300 MW to over come the prevailing crisis (January, 2003).	(ii) Allocation of 15% (33 MW) from the unallocated quota in RAPP Unit-III was restored to J&K in February, 2003.
		Western Region	
11.	Maharashtra	(i) 100% availability as per share allocation (February, 2003).	(i) The allocation is made on installed capacity of the station. However the entitlement in actual gets reduced on account of auxiliary consumption, transmission losses, and level of generation. Accordingly, share entitlement is being fully made available to the State.
		(ii) Allocation of additional power from unallocated quota.	(ii) Allocation from the unallocated quota of CGS in Western Region was raised from 11% to 20% in January, 2003. Effective increase was 73 MW for the State.
12.	Madhya Pradesh	(i) Enhancement in allocation from Central Sector Power to the tune of 500 MW and 300 MW out of CSEB's share during Rabi season (September, 2002).	MP has been allocated additional power as under: (I) Additional 50 MW from Eastern Region *via* Northern Region. (ii) 50 MW from Eastern Region in February, 2003. (iii) 90 MW out of 498 MW share of CSEB *w.e.f.* 12.11.2002 upto March, 2003.

Sl. No.	Requests received from States/UTs	Requests made	Actions taken
13.	Chhattisgarh	Restoration of 90 MW power allocated to M.P. (Nov., 2002)	Considering the requirement of M.P. the temporary allocation of 90 MW from Chhattisgarh has been continued till March, 2003 to M.P.
14.	Daman & Diu and Dadar Nagar & Haveli	Request for allocating additional 25 MW from Central Stations in Western Region (April, 2002)	Allocation of additional 25 MW from Eastern Region has been made in February, 2003.
		Eastern Region	
15.	Bihar	Restoring allocation of 184 MW from NTPC stations in Eastern Region (Dec., 2002)	80 MW power has been restored to the State in merit order of NTPC stations in Eastern Region in February, 2003.
		North Eastern Region	
16.	Meghalaya	Request for allocating of about 40 MW power during off-peak hours from Eastern Region for a period of 3-4 months (January, 2003)	As the entire unallocated power of NTPC stations in the Eastern Region including surrendered shares stood allocated to beneficiaries outside Eastern Region, allocation of Meghalaya from the unallocated power of Central Generating Stations in the North Eastern Region was enhanced from 5% to 10% amounting to an increase of about 9 MW *w.e.f.* 1st November, 2002 and the same continues to remain in force till 31st March, 2003.

श्री बालकवि बैरागी: माननीय मंत्री जी आपने जो विस्तार से उत्तर दिया है, उसके लिए धन्यवाद। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप उत्तर का पृष्ठ चार देख लें। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश को नब्बे मेगावाट की विद्युत की बहाली आपने नवम्बर, 2002 में कर दी है फिलहाल यह बहाली मार्च महीने तक के लिए है। क्या मध्य प्रदेश सरकार ने आपसे इस बहाली को और आगे बढ़ाने का कोई आवेदन किया है? यदि कोई आवेदन या इच्छा जताई है तो क्या आप उसे आगे भी कंटीन्यू करेंगे क्योंकि परीक्षाओं का समय है और हम लोगों को भी बिजली की आवश्यकता है। आपका इस बारे में क्या रुख है, कृपया स्पष्ट करें।

श्री अनन्त गंगाराम गीते: सभापति जी, अनऐलोकेटिड कोटे से जो बिजली दी जाती है वह सैंट्रल गवर्नमैंट की ओर से है। मांग और समय के मुताबिक हम उसमें चेंजेस करते हैं। जैसे-जैसे

उसकी उपलब्धता, अवेलेबिलिटी होती है, वैसे-वैसे उसे बढ़ा भी देते हैं। यदि इस प्रकार की कोई मांग दुबारा आती है तो निश्चित रूप से उस संदर्भ में विचार किया जा सकता है।

श्री बालकवि बैरागी: दूसरा प्रश्न यह है कि जैसाकि आपने बताया कि एक क्षेत्र में प्रत्येक राज्य की तात्कालिक/मौसमी आवश्यकता को ध्यान में रखकर आप यह फैसला करते हैं, यह आपका उत्तर है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके यहां मौसम और तात्कालिकता की परिभाषा क्या है ताकि उस दायरे में सरकारें आपसे संवाद कर सकें।

श्री अनन्त गंगाराम गीते: सभापति जी, मौसम और तात्कालिकता के संबंध में इतना ही कहना चाहता हूं, जैसाकि इस वर्ष ठण्ड ज्यादा हुई है, ठण्ड बढ़ने के कारण दिल्ली और उत्तर के प्रदेश, विशेषकर दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में ज्यादा मांग बढ़ गई। जबकि उतनी मांग दक्षिण प्रदेश में इस समय और इस काल में नहीं होती है। जो हमने समय के बारे में कहा है, जो मौसम है, जहां ठण्ड के समय ज्यादा मांग होती है वहां ज्यादा देने का प्रयास किया जाता है। यदि कोई दुर्घटना होती है, जैसे कहीं ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण पूरे क्षेत्र की बिजली चली जाती है तो उस समस्या के तात्कालिक महत्व को जानते हुए यह जो सहायता दी जाती है, वह हम करते हैं।

श्री मोती लाल वोरा: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गत नौ महीनों में सोलह राज्य सरकारों ने आपके समक्ष विद्युत कमी को दूर करने के लिए अपने प्रस्ताव भेजे। इन सोलह राज्य सरकारों में मध्य प्रदेश सरकार को केंद्रीय विद्युत उत्पादन से पांच सौ मेगावाट के आवंटन को बढ़ाने और रबी के मौसम में तीन सौ मेगावाट को बढ़ाने की बात थी। सभापति जी, जहां पांच सौ मेगावाट मांगी वहां पचास मेगावाट दी गई और जहां तीन सौ मेगावाट मांगी वहां भी पचास मेगावाट दी गई। इसमें यह भी कहा गया है कि मार्च, 2003 तक नब्बे मेगावाट दी जाएगी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन राज्यों में अधिक बिजली है, उन राज्यों से बिजली लेकर, नेशनल ग्रिड से, मध्य प्रदेश में यद्यपि बिजली की बहुत कमी है, इस बिजली की कमी को पूरा करने की दिशा में आप जितनी विद्युत मेगावाट उन्हें दे रहे हैं, उसे बढ़ाने की कृपा करेंगे?

श्री सभापति: आप बता दीजिए कि कौन से राज्य में बिजली खूब है।

श्री मोती लाल वोरा: आसाम, बिहार और वेस्ट बंगाल में है।

श्री अनन्त गंगाराम गीते: सभापति जी, मध्य प्रदेश ने जो मांग की है, उस मांग के मुताबिक हम नहीं दे पाते हैं। यह इसलिए क्योंकि जो अनऐलोकेटिड कोटा है उसकी जो कुल बिजली हमारे पास अवेलेबल है वह लगभग तीन हजार आठ सौ मेगावाट है। इस 3800 मेगावॉट बिजली का, देश भर में जैसे राज्यों से मांग आती है उसके मुताबिक उसका आवंटन करना पड़ता है। उनकी जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में बिजली की आज जो कमी है वह 1700 मेगावाट की है। जैसे माननीय सदस्य ने यहां पर अंतिम प्रश्न में पूछा है कि यह प्रयत्न हमारी ओर से, ऊर्जा मंत्रालय की ओर से चल रहा है जो नेशनल ग्रिड बनी है, रिजनल ग्रिड बने हैं, आपकी और सदन की जानकारी के लिए, सभापति जी, मैं यह जानकारी देना चाहूंगा कि अब हमने रूरकेला-रायपुर यह 400 किलोमीटर की

ट्रांसमिशन लाइन पूरी की है, जिससे वेस्टर्न ग्रिड को अतिरिक्त बिजली हम दे पायेंगे और उसमें से भी मध्य प्रदेश को निश्चित रूप से अतिरिक्त बिजली हम दे सकते हैं।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, I must appreciate, first of all, that the reply which the Department has given, can be a model for some other Ministers which excel in how to evade the actual questions. Such replies really make the Question Hour fruitful. Now, I come to my question, Sir, it can be seen from Annexure Nos. 1, 2, 4, 5, 12 and 13, everywhere the surplus power is being brought from the Eastern Region to other regions. The reply says that there is surplus power in the Eastern Region. Does it mean that Eastern Region is surplus, that is, the supply is more than the demand? But, there the question will come, as you know, not all the States in the Eastern Region are saying that they are surplus in power. The transmission and distribution are not good enough in the States of the Eastern Region, that is why, probably, they are not in a position to absorb power. But, long-term planning will be to have more demand there. And, if transmission and distributioin systems are improved, they can also absorb power. In that eventuality, for your long-term planning, this dependence on today's surplus power from Eastern Region and other regions may not be fruitful, unless it is seasonal. So, what steps are you going to take in the event of Eastern Region's demand going up, in which case, the surplus power would not be available? In what way, are you then, going to take care of this power deficit in other regions?

श्री अनन्त गंगाराम गीते: सभापति जी, सब से पहले तो मैं पूर्व के तीनों सदस्यों ने इस उत्तर के बारे में यहां पर जो संतोष जताया है उसके लिए धन्यवाद देता हूं और सदस्य ने जो यहां पर जानकारी दी है वह सत्य है। हम ईस्टर्न रिजन से वेस्टर्न रिजन को, सदर्न रिजन को पॉवर ग्रिड के माध्यम से बिजली ले जा रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि ईस्टर्न रिजन में सब को बिजली मिल रही है। यह तो वास्तविकता है और इससे हम अवगत हैं। इसलिए ईस्टर्न रिजन के जितने भी राज्य हैं उनको ये बार-बार सूचनाएं दी जाती हैं कि आपके क्षेत्र में, विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उसकी मांग के मुताबिक बिजली देने के लिए प्रयास किया जाए और इन प्रयासों में जो भी सहायता ऊर्जा मंत्रालय की ओर से चाहिए वह निश्चित रूप से हम देते हैं और देते आए हैं।

MR. CHAIRMAN: Next Question, Shri Surendra Lath.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, this is a very important question.

श्री सभापति: यह भी बिजली का ही है। Next question is also concerned with power.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, this is a question which has affected the whole country.

MR. CHAIRAMN: You please read the Question No. 306, which also deals with power.

Schemes for rural electrification

*306. SHRI SURENDRA LATH: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) the names of the Central schemes under which Rural Electrification Programmes are being launched in the country;

(b) the State-wise break up of the allocation of funds and achievements made in the electrification of villages during last three years (scheme-wise);

(c) the number of villages in the State of Orissa which are yet to be electrified; and

(d) the target date fixed for the electrification of those villages?

THE MINISTER OF POWER (SHRI ANANT GANGARAM GEETE): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) According to Planning Commission, Rural Electrification Programme as such is under State Plan. However, Kutir Jyoti Programme for release of single point light connections to the rural families living below the poverty line for which Government of India provides funds in the form of grant is a Central Scheme. Besides, under Accelerate Rural Electrification Programme, an interest subsidy scheme has been formulated to reduce the cost of fund to States.

(b) For electrification of villages, States access funds under Minimum Needs Programme (MNP) and Pradhan Mantri Gramodaya Yojana (PMGY) under the State Plan assistance, Rural Electrification Corporation (REC) and Rural Infrastructure Development Funds (RIDF) of National Agricultural Bank for Rural Development (NABARD). The details of the allocation and releases made and the village electrification achieved during the last three years are at Statements I, II, III, IV and V respectively (*See* below).